केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

दिनांक: **01.01.2026**

परिपत्र सं.- 01/2026

संख्या: सीबीएसई/समन्वय/पीआरएसी/अनुस्मारक **2026**

अनुस्मारक-1

सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रमुख,
(सीबीएसई की वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: प्रैक्टिकल परीक्षाओं/परियोजना/आंतरिक मूल्यांकन कक्षा X और XII-2025-26 का संचालन

महोदया/महोदय,

यह परिपत्र संख्या सीबीएसई/सीओओआरडी/मेन प्रैक्टिकल/2025-26 ई-फाइल 163685 दिनांक 01/12/2025, के अनुक्रम में है जिसमे यह सूचित किया गया था कि X/XII कक्षा के लिए सत्र 2025-26 के लिए वार्षिक प्रैक्टिकल परीक्षाएं/आंतरिक मूल्यांकन/परियोजना 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली हैं। प्रैक्टिकल परीक्षाओं/परियोजना/आंतरिक मूल्यांकन के समय पर संचालन के लिए सभी स्कूलों द्वारा परीक्षा के लिए निम्नलिखित कार्य अनिवार्यतः किए जाएं अपेक्षित है।

1. कृपया सुनिश्चित करें कि प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन के लिए निर्धारित तिथि से पहले स्कूल में पर्याप्त संख्या में व्यावहारिक उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त हो गई हैं। किसी भी समस्या के मामले में, कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।

2. सीबीएसई द्वारा जारी निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के लिए स्कूलों को माता-पिता और छात्रों को प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन के कार्यक्रम के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके।

3. सुनिश्चित करें कि प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रयोगशालाओं में बुनियादी ढांचे, उपकरण और सामग्री जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। जांचें कि छात्रों के लिए अपने प्रयोग करने के लिए प्रयोगशालाएं या सुविधाएं पर्याप्त रूप से स्थापित की गई हैं।

4. सीबीएसई द्वारा नियुक्त बाहरी परीक्षकों से संपर्क करें ताकि इसके सुचारू संचालन के लिए समय पर प्रैक्टिकल/आंतरिक मूल्यांकन किया जा सके।

5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं/परियोजना/आंतरिक मूल्यांकन आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें ताकि वे प्रैक्टिकल परीक्षाओं में आराम से भाग ले सकें।

6. छात्र स्कूल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शामिल होंगे।

7. सभी प्रैक्टिकल परीक्षाओं/परियोजना/आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में अंक प्रतिदिन मूल्यांकन के संचालन के दिन अपलोड किए जाएंगे।

8. अंक अपलोड करते समय, विद्यालय, आंतरिक परीक्षक और बाहरी परीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सही अंक अपलोड किए गए हैं क्योंकि अंक अपलोड होने के बाद अंकों में कोई सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. विद्यालयों को अंक देने और अपलोड करने से पहले प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित अधिकतम अंकों की जांच करनी चाहिए। प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सही अंक अपलोड किए जाएं क्योंकि परिणाम के बाद अंकों में सुधार के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।(कृपया परिपत्र संख्या सीबीएसई/समन्वय/मुख्य प्रैक्टिकल/2025-26 ई-फाइल 163685 दिनांक 01/12/2025 का परिशिष्ट V और VI देखें)

10. यह प्रिंसिपल/आंतरिक परीक्षक/बाहरी परीक्षक, द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक छात्र को दिए जाने वाले अंक पूरी तरह से उनके प्रदर्शन के आधार पर दिए जाते हैं।

11. प्रैक्टिकल परीक्षा, 2026 के लिए प्रदान की गई उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षकों के लिए एक अंडरटेकिंग शामिल है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि विषय में प्रैक्टिकल के लिए दिए गए अधिकतम अंकों की जांच की गई है और सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद अंक दिए गए हैं।

12. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने वाले किसी भी छात्र को प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/इंटरनल असेसमेंट में शामिल होने से छूट नहीं दी जाएगी और उनके लिए अलग से कोई प्रैक्टिकल आयोजित नहीं किया जाएगा।

13. कक्षा XII के लिए, विद्यालय स्थानीय स्तर पर प्रैक्टिकल परीक्षा/परियोजना मूल्यांकन के संचालन के लिए बाहरी परीक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा केवल बोर्ड द्वारा नियुक्त बाहरी परीक्षक द्वारा आयोजित की जा सकती है।

14. यदि यह पाया जाता है कि विद्यालय ने सीबीएसई द्वारा नियुक्त नहीं किए गए किसी अन्य बाहरी परीक्षक का उपयोग करके प्रैक्टिकल किया है, तो इस मूल्यांकन को अमान्य माना जाएगा।

15. यदि यह देखा जाता है कि विद्यालयों द्वारा बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, तो बोर्ड का प्रैक्टिकल परीक्षा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

16. विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन 1 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 के बीच निर्धारित समय सीमा में ही आयोजित किया जाए। 1 फरवरी 2026 से प्रधानाचार्यों को अपने उप प्रधानाचार्यों/समन्वयकों/संबंधित शिक्षकों के साथ व्यावहारिक परीक्षाओं के संचालन और अंकों को अपलोड करने की स्थिति के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए।

17. यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो विद्यालय समय पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

18. सीबीएसई ने परीक्षा 2026 से सभी पदाधिकारियों के लिए पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि की है। प्रैक्टिकल परीक्षाओं 2025-2026 के लिए कर्मचारियों का पैमाना और पारिश्रमिक की संशोधित दरें परिशिष्ट I के रूप में संलग्न हैं।

आपको और आपकी टीम को नव वर्ष 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

अकादमिक अखंडता बनाए रखने और छात्रों के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए आपके निरंतर समर्पण की गहराई से सराहना की जाती है।

भवदीय,

ह/-

(डॉ. संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक

परिशिष्ट-I

प्रैक्टिकल परीक्षक/परीक्षा पदाधिकारी के लिए कर्मचारियों का पैमाना, पारिश्रमिक की दरें		
नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सहायक कर्मचारियों को व्यावहारिक परीक्षा/परियोजना/आंतरिक मूल्यांकन के संचालन में परीक्षकों की मदद करने के लिए तैनाती/उपयोग करने की अनुमति है: -		
क्र.**सं.**	**विषय**	**अनुमेय सहायक कर्मचारी**
(क)	भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, भूगोल गृह विज्ञान	01 सहायक अधीक्षक 01 प्रयोगशाला सहायक 01 प्रयोगशाला वाहक
(ख)	कंप्यूटर विषय (कंप्यूटर लैब सहित)	01 सहायक अधीक्षक 01 प्रयोगशाला सहायक 01 प्रयोगशाला वाहक
(ग,)	संगीत और नृत्य	01 इंस्ट्रूमेंट प्लेयर 01 संगीत/डांस रूम हेल्पर
(घ)	अन्य विषय	01 सहायक अधीक्षक 01 प्रयोगशाला वाहक
(ङ)	स्वच्छता/सफाई	01 प्रतिदिन स्वच्छता/सफाई कर्मचारी
सहायक कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक की दर		
(च)	सहायक अधीक्षक	पारिश्रमिक @ 250 / - प्रतिदिन और वाहन @ 250 प्रतिदिन
(छ)	प्रयोगशाला सहायक	पारिश्रमिक @ 250 / - प्रतिदिन और वाहन @ 250 प्रतिदिन
(ज)	प्रयोगशाला वाहक	पारिश्रमिक @ 250 / - प्रतिदिन और वाहन @ 250 प्रतिदिन
(झ)	इंस्ट्रूमेंट प्लेयर	पारिश्रमिक @ 250 / - प्रतिदिन और वाहन @ 250 प्रतिदिन
ञ)	संगीत/डांस रूम हेल्पर	पारिश्रमिक @ 250 / - प्रतिदिन और वाहन @ 250 प्रतिदिन
(ट)	स्वच्छता/सफाई कर्मचारी	पारिश्रमिक @ 250 / - प्रतिदिन और वाहन @ 250 प्रतिदिन
बाह्य **परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक की दरें**		

(ठ)	ललित कला	@ 35/- प्रति उम्मीदवार प्रति विषय (700 / - प्रति परीक्षक के न्यूनतम भुगतान के अधीन)। परीक्षक को एक ही स्कूल में एक दिन में दो सत्रों में अनिवार्य रूप से परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता होगी यदि उम्मीदवारों की संख्या 20 से अधिक है। 300/- वाहन / जलपान / अन्य शुल्क के लिए
(ड)	अन्य सभी विषयों में प्रैक्टिकल घटक या परियोजना घटक	@ 25/- प्रति उम्मीदवार प्रति विषय (500 / - प्रति परीक्षक के न्यूनतम भुगतान के अधीन)। परीक्षक को एक ही स्कूल में एक दिन में दो सत्रों में हमेशा परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता होगी यदि उम्मीदवारों की संख्या 20 से अधिक है। 300/- वाहन /जलपान/अन्य शुल्क के लिए
(ढ)	शारीरिक शिक्षा	@ 25/- प्रति उम्मीदवार प्रति विषय (500 / - प्रति परीक्षक के न्यूनतम भुगतान के अधीन)। परीक्षक को एक ही स्कूल में एक दिन में दो सत्रों में हमेशा परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता होगी यदि उम्मीदवारों की संख्या 20 से अधिक है। 300/- वाहन /जलपान/अन्य शुल्क के लिए
	स्कूलों/केंद्रों को देय प्रभारों की दरें	
(ण)	प्रैक्टिकल घटक वाले विषय	@ 25/- प्रति उम्मीदवार
(त)	परियोजना घटक वाले विषय	@ 10/- प्रति उम्मीदवार
	पर्यवेक्षक के लिए पारिश्रमिक की दरें	
(थ)	पर्यवेक्षक (यदि बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है)	पारिश्रमिक 750/- प्रतिदिन और वाहन/जलपान/अन्य शुल्क 300/- प्रतिदिन। **टिप्पणी-** बाह्य पर्यवेक्षक को अनुमोदित दरों पर टीए/डीए का भुगतान किया जाएगा
(द,)	मुख्य नोडल प्रैक्टिकल सुपरवाइजर को भुगतान	4000/- पूरी अवधि के लिए एकमुश्त

टीए/डीए के लिए दरें		
(ध)	ट्रेन/हवाई मार्ग से स्टेशन ड्यूटी के बाहर यात्रा का खर्च।	टिकट प्रस्तुत करने पर वास्तविक. **पात्रता:** हवाई यात्रा के लिए प्रधानाचार्य/ केंद्र अधीक्षक/पर्यवेक्षक/पीजीटी के संबंध में परीक्षा नियंत्रक के अनुमोदन से द्वितीय श्रेणी का एसी किराया
(न)	सड़क मार्ग से यात्रा	@ 20 प्रति कि.मी. प्रतिदिन।
(प)	होटल शुल्क (बाहरी ड्यूटी)	प्रिंसिपल/ऑब्जर्वर/पीजीटी के लिए 4000/- (प्रतिदिन) टी.जी.टी. 3000/- (प्रतिदिन)
(फ)	दैनिक भत्ता (बाहरी ड्यूटी)	प्रधानाचार्य/केंद्र अधीक्षक/ ऑब्जर्वर के लिए /पी.जी.टी @ 1250/- (प्रतिदिन) टी.जी.टी. @ 1125/- (प्रतिदिन)
(ब)	विदेशी स्कूलों के संबंध में भुगतान दर ऊपर उल्लिखित दर की दोगुनी दर पर होगा।	
(भ)	संसोधित दरें बोर्ड द्वारा अधिसूचना-सीबीएसई/कार्मिक ए/संशोधित दरें/2025-26/4971-76, दिनांक 01.12.2025 द्वारा अधिसूचित की गई हैं।	

निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के नीचे दिए गए संबंधित प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत सभी स्कूलों को सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016 (commissioner-kvs@gov.in)
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर -62, संस्थागत क्षेत्र, नोएडा-201309, (nvsshww@gmail.com, commissioner.nvs@gov.in)
3. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। (nests-tribal@tribal.gov.in,
4. सचिव, सैनिक स्कूल सोसाइटी, कमरा नंबर 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली -110001, (pvpsainikschool@gmail.com)
5. नौसेना शिक्षा सोसाइटी (एनईएस), नौसेना शिक्षा निदेशालय, पश्चिम ब्लॉक V, विंग II, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली 110066 (nesnavy@gmail.com)
6. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, एन -1 /9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक स्कूल नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा -751005 (oavsbbsr.od@gov.in)
7. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054। (diredu@nic.in)
8. लोक निर्देश निदेशक (विद्यालय), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017 (dpi-chd@nic.in)
9. शिक्षा निदेशक, सरकार, सिक्किम, गंगटोक, सिक्किम 737101
10. निदेशक, विद्यालय शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर -791111 (dirschedn@sify.com)
11. शिक्षा निदेशक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर 744101 (dirschedn@sify.com)
12. निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, द्वितीय तल, सिविल सचिवालय, लेह-लद्दाख। (pr.secy@ladakh.gov.in)
13. निदेशक, विद्यालय शिक्षा निदेशालय, पुदुच्चेरी सरकार, ए ब्लॉक, पहली मंजिल, पेरुंथलाइवर कामराज शताब्दी शैक्षिक परिसर, 100 फुट रोड, अन्ना नगर, पुदुच्चेरी-605 005. (dse-edn@py.gov.in)
14. निदेशक, सम्भोटा तिब्बती स्कूल सोसायटी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। (dhe-sml-hp@gov.in)
15. ग्रुप कैप्टन शिक्षा (स्कूल) शिक्षा निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक, वायु सेना मुख्यालय (आरकेपी), आर.के. पुरम, नई दिल्ली -110066 (dopsmpr@iaf.nic.in)
16. सचिव एडब्ल्यूईएस, एमओडी (सेना) एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नंबर 202. शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली कैंट -110010 (coordsection.aweshq@awesindia.edu.in)
17. अध्यक्ष के संयुक्त सचिव को सीबीएसई के अध्यक्ष के जानकारी के लिए ।
18. बोर्ड के सभी विभागाध्यक्ष।
19. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रेषित करें।
20. वेब एडमिन, इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करें।
21. मीडिया एवं जनसंपर्क, सीबीएसई सूचना हेतु।
22. सीबीएसई कॉल सेंटर (callcentre@cbseshiksha.in)